117

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1196–तीन/2003 – विरूद्ध आदेश दिनांक 06–06–2003 – पारित – व्दारा – आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर – प्रकरण कमांक 131/1998–99 निगरानी

लालदास पुत्र माधौदास बैरागी
ग्राम इकोदिया तहसील मुंगावली
जिला अशोकनगर, मध्य प्रदेश ----आवेदक

विरूद्ध

1– कमल सिंह पुत्र निभय सिंह
ग्राम इकोदियां तहसील मुंगावली
जिला अशोकनगर, मध्य प्रदेश
2– म0प्र0शासन व्दारा कलेक्टर ---अनावेदकगण

(आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री के0के0द्विवेदी)
(शासन की ओर से पैनल लायर)
(अनावेदक कमांक–1 के अभिभाषक श्री एस.के.अवस्थी)

आ दे श

(आज दिनांक 19 – 7 – 2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 144/1984–85 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 15–9–2008 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि है कि आवेदक ने तहसीलदार मुंगावली को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मॉग की कि वह ग्राम इकौदिया स्थित भूमि सर्वे कमांक 377 रकबा 0.355 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) पर मौरूषी कृषक की हैसियत से काविज होकर खेती करता आ रहा है इसलिये संहिता की धारा 190/110 के अंतर्गत भूमिस्वामी की हैसियत से नामान्तरण किया जाय। तहसीलदार मुंगावली ने प्रकरण कमांक 41 अ-46/89-90 पंजीबद्ध किया तथा पक्षकारों की सुनवाई कर आदेश दिनांक 15-3-1990 पारित करके आवेदक का वादग्रस्त भूमि पर मौरूषी कृषक होना मानकर नामान्तरण के आदेश दिये।

तहसीलदार मुंगावली के प्रकरण कमांक 41 अ-46/89-90 का परीक्षण करने पर अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली ने अनियमिततायें पाते हुये तदाशय का प्रतिवेदन दिनांक 12-8-92 अपर कलेक्टर अशोकनगर को प्रेषित किया, जिस पर से अपर कलेक्टर अशोकनगर ने आवेदक के विरूद्ध स्वमेव निगरानी प्रकरण कमांक 484/97-98 पंजीबद्ध करके पक्षकारों की सुनवाई कर आदेश दिनांक 30.9.1999 पारित किया तथा तहसीलदार का आदेश दिनांक 15-3-90 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण कमांक 131/98-99 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 6-6-2003 से निगरानी निरस्त की गई। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख

का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसील न्यायालय में आवेदक व्दारा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 190/110 के अंतर्गत प्रस्तुत दावे पर से प्रकरण पंजीबद्व करके सुनवाई की गई है। जैसा कि अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 30-9-99 के पद 5 में विवेचित किया है कि रिकार्ड पर उपलब्ध खसरा नकल वर्ष 2043-44 में खसरा के कालम नंबर 3 में कब्जेदार व हैसियत भूमिस्वामी अनावेदक कमांक 1 का नाम अंकित है खसरे में उल्लेखित वर्षो में खाना कैफियत व सॅशोधन प्रविष्टि में फसल अंकित है अर्थात गस्त चढ़ाया गया है । खसरा के कालम नं0 4 व 12 जो कि पटटेदार एंव मौरूषी कृषक के कब्जा तथा हैसियत के परिवर्तन का कालम निरंक है। स्पष्ट है कि आवेदक वादग्रस्त भूमि का मौरूषी कृषक खसरे से प्रमाणित न होते हुये भी तहसीलदार ने जानबूझकर संहिता की धारा 190/110 का आवेदन स्वीकार करने में त्रृटि की है क्योंकि खसरा प्रविष्टि अनुसार आवेदक केवल वादग्रस्त भूमि का कब्जेदार माना जा सकता है और जब वादग्रस्त भूमि का आवेदक कब्जेदार है कब्जे के आधार पर उसे सिविल न्यायालय में जाकर स्वत्व प्रमाणित कराना अनिवार्य है तभी सिविल न्यायालय के आदेश के पालन में राजस्व न्यायालय अमल की कार्यवाही कर सकता है। इस सम्बन्ध में विद्वान अपर कलेक्टर एंव अपर आुक्त व्दारा आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष उचित होना पाये गये हैं क्योंकि प्रकरण में आये तथ्यों से एंव अभिलेख के आधार पर मूल

मामला शासन की स्टाम्प डयूटी व रजिस्ट्रेशन शुल्क से बचने का प्रयास करना पाया गया है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 144/1984-85 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 15-9-2008 विधिवत् होने से यथावत् रखते हुये निगरानी अस्वीकार की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर